राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014पार्ट जयपुर, दिनांक :– 12.4.17

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 दिनांक 23.12.2015 के बिन्दु संख्या 1 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत विकासकर्ता से भूमि छुडवाये जाने की एवज में राशि लिया जाना प्रस्तावित है तो विकासकर्ता से ली जाने वाली राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर तथा जिन क्षेत्रों में आवासीय आरक्षित दर निर्धारित नही है, उस स्थिति में राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधार पर की जावे।

12/4/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक